सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :— 24 / 2014

वादीगण

भरतसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह
जाति राजपूत, निवासी ग्राम
भगासनी, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह
2. वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण भगासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
3. शिंवकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बरड़िया गोयल, तहसील जावरा जिला रतलाम मध्यप्रदेश
4. कल्याणकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह पत्नी स्व. श्री राजेन्द्रसिंह खीची जाति राजपूत, निवासी ग्राम सिरसा तहसील सिरसा, हरियाणा
5. वैद्यवंतीकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह पत्नी श्री गुमानसिंह देवल जाति राजपूत निवासी ग्राम राजीकावास, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालौर
6. हेमलता कंवर पुत्री श्री नाथुसिंह पत्नी श्री महावीरसिंह सोड़ा जाति राजपूत निवासी ग्राम इटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 26.05.2017

पत्रावली आज अटल सेवा केन्द्र कोर्ट केम्प सम्बाडिया में प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित प्रस्तुत राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 3, 7 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन जारी करने का आदेश दिनांक 26.05.2014 को दिया गया। जिसकी पालना में वादी अधिवक्ता ने कोई नोटिस भरकर पेश नही किये तो वादी अधिवक्ता को तारीख पेशी 18.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 3, 7 के पुनः रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस भेजे जाने का आदेश दिया गया प्रतिवादी संख्या 3 का नोटिस अदम तामिल होकर लौटा व प्रतिवादी संख्या 7 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त नही हुआ। तारीख

पेशी 09.01.2017 को वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 3, 7 के नोटिस पुनः पेश करने के आदेश दिये गये, फिर भी वादी अधिवक्ता ने सात दिन के भीतर नये सम्मन पुनः भरकर पेश नही किये है इस कारण वादी का सम्मन पेश करने में असफल रहा है। अतः वादी का दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा